

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1351/12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

26/09

2017।

सेवा में,

अधिकांसी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग किमी 02 से 06 तक निर्माण हेतु 1.099 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं 08बी/यूसीपी /06/119/2016/एफ0सी0/940 दिनांक 06-09-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आवश्यक धनराशि का मांग पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:-

1. शर्त सं 01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.198 अर्थात 2.20 है 0 ग्राम घतोड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रु 5,57,330.00 (रु पांच लाख सत्तावन हजार तीन सौ तीस) मात्र जमा की जानी है।

प्रत्यावर्तित भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु भूमि (है 0)	धनराशि (प्रति है 0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
1	2	3
2.20 है 0	2,53,332.00	5,57,330.00

2. शर्त सं 02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रु 9,28,655.00 (रु नौ लाख अठाईस हजार छः सौ पचपन) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है 0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम (3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.4 (Dense forest)	8,45,000.00	1.099	9,28,655.00

3. शर्त सं 03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
4. शर्त सं 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं 01 व शर्त 02 में देय धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं 05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों, Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide/upload revised FRA certificate with correct date and also proceedings of District Level Committee (DLV) meeting and sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting with correct date keeping in view the date of village Level Committee meeting of Bamiyala, which has been furnished now. Hard copy of FRA certificate in original or attested hard copies of proceedings of DLC and SDLC will also be provided.
7. State Govt. will submit a copy of the enumeration list which has been uploaded at S.No. 6 of additional documents in online Part-I.
8. State Govt. will provide original hard copy of digital map of proposed road as uploaded at para 'C' Part-I online and original hard copy of digital map of CA area as uploaded at Para 'L' Part-I online alongwith CA sheme in hard copy.
9. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त विधिवत स्वीकृति हेतु दिये गये अन्य आवश्यक शर्त 01 से शर्त सं 10 का अनुपालन किये जाने की वचनबद्धता भी दी जानी है।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तों के अनुपालन की वचनबद्धता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन-लाईन भी अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

NO- 286/10LA Dn/10/10/2017

प्रतिलिपि सं 08बी/यूसीपी/06/119/2016/एफ0सी0/940 दिनांक 06-09-2017

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित